COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

**श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में ।**

R-1628-PBR/12

1— प्रदीप कुमार गुप्ता पिता रामप्रसाद गुप्ता
2— अनिल कुमार गुप्ता पिता रामप्रसाद गुप्ता
निवासी :— 19, भक्त प्रहलाद नगर, इंदौर । —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— संजय पिता महेंद्र प्रकाश दुबे
निवासी— नर्मदा कालोनी इंदौर
2— कमलाबाई पति रूपचंद बडोला
निवासी— 570, कालानी नगर इंदौर —— प्रतिप्रार्थीगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ।**

पी.जी. पाठक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-5-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत । 24-5-12

31-5-12

26/7/12

श्रीमान अधीक्षक भू—अभिलेख तहसील व जिला इंदौर द्वारा दिनांक 29/04/2011 को प्रार्थी के पीठ पीछे किए गए सीमांकन की कार्यवाही व तैयार किये गये प्रतिवेदन से असन्तुट होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :—

**प्रकरण के तथ्य :—**

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छोटाबांगडदा तहसील व जिला इंदौर में प्रार्थी क्रमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की 130/1/4 रकबा 0.383 हेक्टेयर तथा प्रार्थी क्रमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की 130/1/3 रकबा 0.383 हेक्टेयर की भूमि स्थित रही है। ग्राम छोटाबांगडदा तहसील व जिला इंदौर में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की 130/1/1 पैकि 0.321 हेक्टेयर की भूमि के सीमांकन हेतु प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 के द्वारा अधीक्षक भू—अभिलेख के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कलेक्टर (भू—अभिलेख) जिला इंदौर के द्वारा आदेश क्रमांक 908/भू.अभि./निरी./2011 इंदौर दिनांक 16/03/2011 को उक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु आदेशित किया गया, इसी प्रकार प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 के द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 130/1/1 पैकि 0.076 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु श्रीमान् तहसीलदार इंदौर के समक्ष आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार इंदौर के द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 राऊ इंदौर को आदेश क्रमांक क्यू/ री—2/11 इंदौर दिनांक 29/04/2011 के आधार पर सीमांकन हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेशों के पालन में दिनांक 25/06/2011 को प्रतिप्रार्थीगण की भूमि के सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किये गये, किंतु प्रार्थीगण को कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया। (सूचना पत्रों की प्रति संलग्न है) राजस्व निरीक्षक व अधीक्षक भू—अभिलेख के द्वारा प्रतिप्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन प्रार्थीगण के पीठपीछे किया जाकर उनके स्वामित्व की भूमि के कम पड रहे रकबे की पूति प्रार्थीगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से किये जाने हेतु प्रतिप्रार्थीगण को निर्देशित किया गया। उक्त सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थीगण को कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया, प्रार्थीगण के पीठपीछे राजस्व निरीक्षक व अधीक्षक भू—अभिलेख के द्वारा किए गए उक्त सीमांकन की कार्यवाही से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण/निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :—

| | | |
|---|---|---|
| 17/12/14 | आवेदक स्वयं [प्रदीप गुप्ता] उपस्थित। उन्होंने निवेदन किया कि वे प्रकरण चलाना नहीं चाहते। आवेदक के प्रकरण नहीं चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाता है।<br>अध्यक्ष | चाहते थे<br>17/12/2014<br>प्रदीप गुप्ता |